समस्त प्र0नि0/थानाध्यक्ष
जनपद फतेहपुर।

जिलाधिकारी फतेहपुर की अध्यक्षता में दिनांक 17.05.2018 को एण्टी टोबैको सेल व सचल दल जनपद फतेहपुर की जनपद स्तरीय बैठक (कैम्प कार्यालय जिलाधिकारी) में आहूत की गयी। जिसमें सिगरेट और तम्बाकू उत्पादन, विज्ञापन का प्रतिबन्ध और व्यापार तथा वाणिज्य, उत्पादन प्रदाय और वितरण का विनिमय अधिनियम 2003 (कोटपा) धारा 12(1) एवं 28(1)क के अनुसार अति महत्वपुर्ण विषयक निर्णय लिया गया है। उक्त गोष्ठी में निम्न बिन्दुओं पर कार्यवाही हेतु निर्णय लिया गया है।

1. स्कूलों/कालेजों की 100 गज की परिधि से तम्बाकू बिकी की दुकानें हटायी जायें।
2. खुली सिगरेट की बिकी पर पूर्णतया प्रतिबन्ध लगाया जाये।
3. समस्त तम्बाकू उत्पादों की बिकी दुकानों में कोटपा-2003 की धारा 6ए का साइनेज लगवाया जाना आवश्यक है।
4. पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को तम्बाकू उत्पादों से हानिकारक प्रभाव एवं कोटपा-2003 के अनुपालन में पुलिस विभाग की भूमिका के विषय में उन्मुखीकरण अति आवश्यक है। साथ ही पुलिस सम्मेलन में कोटपा-2003 का विषय शामिल किया जाये।
5. सभी थानों/चौकियों/पुलिस कार्यालयों में कोटपा-2003 के सम्बन्ध में धारा-04 के साईनेज लगवाया जाना आवश्यक है।(साइनेज अकब से प्राप्त होने पर उपलब्ध कराया जायेगा)
6. कोटपा-2003 का अनुपालन कराये जाने हेतु 31.05.2018 से पूर्व सभी थानों/चौकी व कार्यालयों को तम्बाकू मुक्त कराया जाये।
7. उपरोक्त सम्बन्ध में प्रत्येक माह में आयोजित होने वाली अपराध गोष्ठी में कोटपा पर कृत कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त बिन्दुओं का भली-भांति परिशीलन कर निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

21/5/18

(विनोद कुमार)
अपर पुलिस अधीक्षक,
(पश्चिमी)
फतेहपुर

पत्रांकः वाचक/अ0पु0अ0-कोटपा-निर्देश/2018

दिनांकःमई , 2018

प्रतिलिपिः- 1. जिलाधिकारी, फतेहपुर को सादर सूचनार्थ।
2. पुलिस अधीक्षक, फतेहपुर को सादर सूचनार्थ ।
3. अपर पुलिस अधीक्षक(पूर्वी) फतेहपुर को सादर सूचनार्थ।
4. समस्त क्षेत्राधिकारी, फतेहपुर को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।
5. नोडल, तम्बाकू नियंत्रण प्रकोष्ठ, (सी.एम.ओ. आफिस), फतेहपुर।
5. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 वायलेन्ट्री हेल्थ एसोसिएशन, लखनऊ।